राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान जयपुर)

क्रमांकः– एफ3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/15532–573 दिनांक– 14/06/2019

परिपत्र

विषयः– निविदा/बिड़ से प्राप्त राशि को विभिन्न लेखा शीर्षो में जमा कराने के सम्बंध में।

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(2) वित्त/सा.वि.ले.नि/2005 जयपुर दिनांक 13.03.2019 के द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग–प्रथम के नियम– 54 (2) के अनुसार निविदा प्रपत्र फीस को लेखा शीर्ष 0075–800–52–01 या सम्बंधित विभाग के राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष में, प्रतिभूति/धरोहर राशि को लेखा शीर्ष 8443–103–108,109 में तथा RISL प्रोसेसिंग शुल्क की राशि को लेखा शीर्ष 8658 में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

अतः समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि निविदा/बिड़ से प्राप्त राशियों को निम्नानुसार लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।

क्र.स.	शुल्क/राशि का विवरण	लेखा शीर्ष जिसमें राशि जमा कराई जानी है
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि	0075–800–52–01
2.	प्रतिभूति/धरोहर राशि	8443–103–108,109
3.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क की राशि	8658

*उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

Sd/-
(आर.के.शर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः– एफ3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/15532–573 दिनांकः– 14/06/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन, IWMP) आयुक्तालय, जयपुर
6. समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
7. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (ऑडिट) आयुक्तालय, जयपुर।
8. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर करने एवं समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को ई–मेल करने का कष्ट करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

F: /Accounts-2019/AO SIR/ LATTER